उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 299/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादूनः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या–290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 500 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–२९०/XXVII(7)50(16)/2016
देहरादून : दिनांक २८ दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियों जिन पर ये नियम लागू होंगे:– 2. (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:–

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू0सी0जी0/ए0आई0सी0टी0 एवं आई0सी0ए0आर0 के प्राविधिानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान

किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं **3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह

अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर

4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड

और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण

5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैंण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण–1 इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग **6.** **(1)** नियम–5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी डयूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया हैं।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

टिप्पणी–1 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर

सके थे, उप–नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय–सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया हैं यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

7. (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:–

(क) <u>सभी कर्मचारियों के मामले में</u>

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरुपी (Corresponding) कोई समरुप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम

राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण–एक)

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने दिनांक 01–01–2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है:–

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंडः पीबी–1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतनः 10160
4. विद्यमान मूल वेतनः 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतनः 12560 x 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4
7. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): **32300**

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300**	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) **चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है**, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगाः

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप–खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563
7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 21000X2.57 = 53970
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125%)

वेतन बैंड	15600–39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	**61300**	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533 10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवल: लेवल 10 11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): **61300** 12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250 13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तद्नुरुपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा:–

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–

उदाहरण:

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)
4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800
5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतन: 12960

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200

(10160+2800) 6. क्रम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतन: 33307.20 (33307 में पूर्णांकित) 7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5 8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : **33900**	2	18500	20500	22400	26300	30100
	3	19100	21100	23100	27100	31000
	4	19700	21700	23800	27900	31900
	5	20300	22400	24500	28700	32900
	6	20900	23100	25200	29600	**33900**
	7	21500	23800	26000	30500	34900

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01–01–2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में

उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) **(1)** ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा–निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया हैं, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते, कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि

9. वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में **32300** रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन **33300** हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300** ⇩	37000
10	23500	26000	28400	**33300**	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

10. **(1)** वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भॉति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम–7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेबल की लम्वत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां पदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ

के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रकियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700

3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनामन/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में

4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (ऐरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने

वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति

16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन

17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

अनुसूची–1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4300	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53000	56900	63300
8	22100	24500	26000	41400	35900	43600	55200	58800	65200
9	22800	25200	27800	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	53000	62200	69200
11	24200	20500	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	53000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	53000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	53000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	53000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	20300	32000	35000	41800	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33900	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	33300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	33300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	60400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	69200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61800	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
28	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	53000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115000	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126000	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96800	122900	130400	144800
30	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	133300	153000
38	53600	53000	65100	76400	87000	105800	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	66800	109100	133300	146700	162900
40	56900	63200	69100	51100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	–	–
10	11	12	13	13Ф	15	16	17
56100	67700	78800	118600	131100	144200	182200	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129600	143300	157800	199100	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100	
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600	
69000	83300	96800	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96800	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
99600	108800	126600	190200	210300			
92700	112100	130400	195800	216500			
95500	115500	134300	201800				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107500	130100	151100					
110700	134000	155600					
114000	138000	160300					
117400	142100	165100					
120900	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180500					
132000	160000	185800					
136000	164800	191800					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177500							

अनुसूची–2

विकल्प का फॉर्म

{नियम 6(2) देखें}

1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैं, _____ अपने निम्न–उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रूपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/_____ के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ;

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

कार्मिक संख्या _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

कार्मिक संख्या _____

दिनांक:

स्थान:

संख्या /xxvii(7)30(8)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून दिनांकः २१ दिसम्बर, 2016**

विषयः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या–289/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक 27.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित संकल्प दिनांक 27.12.2016 द्वारा सार्वजनिक उपकमों/निगमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) अनुमन्य किये जाने की वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी हैं।

3– उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक उपकमों/निगमों के ऐसे नियमित कार्मिक, जिन्हें सरकारी सेवकों की भांति छठवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य हैं, को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में सम्बन्धित निगम/उपकम के बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4– वेतन समिति की संस्तुति के कम में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो उपकम/निगम वी.आई.एफ.आर. में संदर्भित है और उनके द्वारा इस हेतु पंजीकृत किये गये हैं अथवा समापन की प्रकिया में हैं अथवा विचाराधीन है, उनके कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

5– उक्तवत पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों के समस्त एरियर का भुगतान अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से ही किया जाएगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

कृपया उपरोक्त के क्रम में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जहॉ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो तो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 में दी गयी प्रक्रियानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या २९१ /xxvii(7)30( )/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/प्रभारी सचिव को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के अधीन गठित निगमों/उपक्रमों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नये वेतन मैट्रिक्स में प्रतिस्थापन वेतनमान (Replacement Scale) दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित बोर्ड/निदेशक मण्डल की संस्तुति प्राप्त करते हुये सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से यथाप्रक्रिया अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–297/ XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/2/2016–ई.II(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुये पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रूपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No 297 /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 30 Dec., 2016

Office Memorandum

Subject: **Grant of Dearness Relief to State Government Civil /Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners w.e.f. 01-07-2016 @ 2% for revised pension superseding the earlier rates as is sanctioned vide Office Memorandum No. 1/2/2016-E.II(B) Dated 04 November, 2016 of Ministry of Finance, Government of India.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary.

संख्या–२९७ / XXVII(7)02 / 2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियॉ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

No२९७ / XXVII(7)02/2016, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2- Additional Chief Secretary/Secretary, Pubic Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhandwith the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4- All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
7- Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers/Sub Triasury Officer, Uttarakhand.
9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand please.
10- Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Arunendra Singh Chauhan
Additional Secretary.

संख्या–295/XXVII(7)30(12)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव,**
2. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 **देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2016**

विषयः– वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के द्वारा अपने प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में प्रदेश के स्वायत्तशासी संस्थाओं (Autonomos Body), जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित है, को पुनरीक्षित वेतन संरचना में नये वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तराखण्ड, (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थायें जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित हैं, के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु कतिपय संस्तुति की है। उक्त संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग, पूर्व की भांति स्थापित मानकों के अधीन वित्त विभाग की सहमति से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कार्यवाही कर सकते हैं–

(क) प्रकियात्मक व्यवस्था–

ऐसी स्वयत्तशासी संस्थायें जो व्यवसायिक कार्य नहीं कर रही हैं तथा पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उनके लेखे पूर्ण होने एवं बजट की उपलब्धता होने पर उनके कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से, वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में नया वेतन मैट्रिक्स निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(ख) उक्त (क) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण होने पर कियान्वयन विधि–

(1) ऐसे प्रकरणों में जहॉ पर पूर्व से सरकारी सेवकों हेतु लागू वेतनमान से समानता हो, वेतन का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम–2016 में निहित प्रकिया के अनुसार किया जाय।

(2) अवशेष देयकों के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त के कम में संबंधित प्रशासनिक विभाग समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–296/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये है, को अनुमन्य मंहगाई भत्तें की दरों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/2/2016–ई.II(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2016 से स्वीकृत मंहगाई भत्ता नये वेतन में सम्मिलित होने के कारण नयी वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक शून्य रहेगा।

3– शासकीय संकल्प संख्या–289/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान में उन्हें प्राप्त विभिन्न प्रकार के भत्ते (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) एवं सुविधाओं की कुल धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी अग्रिम आदेशों तक यथावत् रखा जाय।

4– शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5– पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

6– उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल–1

लोक निर्माण विभाग का ब्योरा, कृत्य और कर्तव्य

Manual-1

Particulars of Organization, Functions and Duties

लोक निर्माण विभाग

1. वर्ष 1844 के करीब लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। यह वो समय था जब बड़ी–बड़ी निर्माण परियोजनायें जैसे कि प्रमुख बड़ी–बड़ी सड़कों का निर्माण, प्रमुख केद्रों में बड़े–बड़े भवनों का निर्माण, गंग नहर का निर्माण, पूर्व में बनाई गई नहरों का सुधार एवं मरम्मत इत्यादि चल रहीं थीं। इन बड़ी–बडी परियोजनाओं के निर्माण तथा नियंत्रण हेतु बहुत ज्यादा कुशल सिविल इंजिनियरों की जरूरत हुई। इस जरूरत को पूरा करने के लिये सन् 1847 में रूड़की में एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना की गई की गई जो बाद में क्रमशः थामसन कॉलिज ऑफ सिविल इंजिनियरिंग, थामसन कॉलिज ऑफ इंजिनियरिंग, रूड़की विश्वविद्यालय तथा वर्तमान समय में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रूड़की(इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रूड़की) के नाम से प्रख्यात हुआ। उस समय यह कॉलिज लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था।

2. लोक निर्माण विभाग ने सन् 1854 से सही प्रकार से कार्य करना प्रारंभ किया। इस समय विभाग के मुख्य अभियंता शासन के सचिव के दायित्वों का निर्वहन भी करते थे। शनैःशनैः वित्तिय संसाधनों को केन्द्र सरकार से प्रान्तों को विकेन्द्रीकित किये जाने का असर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी पड़ा। सन् 1872 में कार्यों को स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने की नीति थी। सभी इंजिनियरिंग कार्य चाहे वे स्थानीय निधि से पोषित हो या राज्यों की निधि से पोषित हों, लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण तथा निरीक्षण में ही कराये जाते थे। लोक निर्माण विभाग सहित जिले मे कार्यरत सभी विभागों का सामान्य नियंत्रण जिला कलैक्टर के अधीन था। हर डिविजन के कमिश्नर के अधीन एक अधिशासी अभियंता कार्यरत होता था जिसके पास ड़िविजन में चल रहे सभी कार्यों का कार्यभार होता था तथा जो इन कार्यों हेतु कमिश्नर के सचिव के दायित्वों का निर्वहन भी करता था। सन् 1881 में लोक निर्माण विभाग को स्थानीय जिम्मेदारियों की नई स्थिति के अनुसार पुर्नगठित करने के कदम उठाये गये। मुख्य बदलाव यह था कि प्रान्तीय स्तर के कार्य ही लोक निर्माण विभाग के अधीन रहे, बाकी सभी कार्य जिला बोर्ड़ को सौंप दिये गये। लोक निर्माण विभाग की ड़िविजनों को पुर्नगठित किया गया तथा जिला कलैक्टर के लोक निर्माण विभाग के स्टॉफ पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। रोहिल खंड ड़िवीजन में कुछ वर्षों तक इस प्रयोग को कर के पाया गया कि यद्यपि इससे विभागीय प्रशासनिक कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन अन्य सभी परिणाम बहुत ही सन्तोषजनक पाये गये। अन्ततः सन् 1887 में इसे लागू कर दिया गया। सन् 1888 मे लोक निर्माण विभाग को स्थाई विभाग बना दिया गया। सन् 1894 में थॉमसन कॉलिज ऑफ सिविल इंजिनिरिंग रूड़की का प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। इसके काफी बाद सन् 1945 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण दोबारा लोक निर्माण विभाग सचिवालय के अन्तर्गत कर दिया गया। इसका स्तर बढ़ा कर जब रूड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया तब 1952 में इसे ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया क्योंकि उस समय इंजिनिरिंग शिक्षा ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत थी। 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर उत्तराखण्ड राज्य बन जाने के कारण रूड़की विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड सरकार के अधीन हो गया। इसके कुछ ही समय बाद ———रूड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान रूड़की बना दिया गया। इस प्रकार यह संस्थान भारत सरकार के अधीन हो गया।

3. भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत किये गये 'सुधारो' का लोक निर्माण विभाग पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लोक निर्माण विभाग 'हस्तांतरित' प्रान्तीय विषय की सूची में आ गया जबकि सिंचाई विभाग केन्द्र की सूची में ही रहा। इससे लोक निर्माण विभाग मंत्रालय के नियंत्रण में आ गया। सन् 1922 में लोक निर्माण पुर्नगठन समिति गठित की गई जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग के संगठन में जरूरी बदलाव सुझाना था, जिससे की यह विभाग इस नये

संविधान के अनुरूप ढ़ल सके। इस समिति ने मुख्यतः भारत सरकार के मार्च 1921 के प्रस्ताव का अनुसरण करके लोक निर्माण विभाग के दायित्व मात्र उन कार्यों के निर्माण तक सीमित रखने की संस्तुति की, जो प्राइवेट फर्मों एवं स्थानीय निकायों द्वारा संतोषजनक ढ़ंग से न किये जा सकें। इस समिति की संस्तुति के अनुसार विभाग को मात्र निरीक्षात्मक एवं सलाहकार संस्था के रूप में रखा जाना चाहिये। विभाग के आकार में काफी कमी सुझाई गयी लेकिन यह आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाया क्योंकि विकेन्द्रीकरण को संस्तुति के स्तर तक लागू नहीं किया गया। सरकार ने सन् 1925–26 में प्रान्तीय मार्ग जो कि विभिन्न प्रान्तों के बीच यातायात की मुख्य कड़ी थे, को छोड़ कर अन्य सभी स्थानीय सड़कें स्थानीय निकायों को सौंप दीं। केन्द्र के भवनों का रखरखाव उन्हीं विभागों को सौंप दिया, जिन विभागों के वे भवन थे। प्रान्तीय सरकारों के अधीन विभागों को रू0 20000 तक के लघु कार्यों को करने के अधिकार दे दिये गये। 'सुधारों' के प्रभाव से लोक निर्माण विभाग की भवन व मार्ग शाखा एवं सिंचाई शाखा के उच्च पदो के संयुक्त कैड़र का पृथकीकरण हो गया क्योंकि भवन व मार्ग शाखा प्रान्तों को 'हस्तांतरित' विषय की सूची में आ गयी जबकि सिंचाई शाखा केन्द्र की 'आरक्षित' विषय सूची में ही रही। सन् 1924 से भारतीय इजिनियर्स सेवा के द्वारा इस विभाग में भर्ती बंद हो गई। धीरे–धीरे भारतीय इंजिनियर्स सेवा का संवर्ग घटता गया और प्रान्तीय इंजिनियरिंग सेवा का संवर्ग बढ़ता गया। मई 1927 में सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पद का दो भागों में पृथकीकरण कर दिया गया। सन् 1927 में जन स्वास्थय इंजिनियरिंग का प्रशासनिक नियंत्रण लोक निर्माण विभाग से हटाकर नगर पालिका के अधीन कर दिया गया। बाद में इस विभाग को लोकल सैल्फ गर्वनमैन्ट इंजिनियरिंग ड़िपार्टमैन्ट का नाम दिया गया।

4. यद्यपि सन् 1927 में सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पद का पृथकीकरण दो अलग पदों में कर दिया गया था, फिर भी भवन व मार्ग शाखा का सचिवालय मार्च 1931 तक मुख्य अभियन्ता कार्यालय का भाग ही रहा। मार्च 1931 में इसे विभाजित कर दिया गया। सन् 1937 में प्रान्तीय स्वायत्तता की प्रस्तावना के पश्चात् सिंचाई शाखा में इसी प्रकार सचिव सह मुख्य अभियन्ता के पदों का विभाजन सन् 1938 में कर दिया गया। भवन व मार्ग शाखा एवं सिंचाई शाखा के सचिवालयों को जोड़ कर लोक निर्माण सचिवालय सन्1938 में बनाया गया जो शासन के एक 'Generalist' सचिव के अधीन रखा गया। भवन व मार्ग शाखा में बिजली के इन्स्पैक्टर का संस्थान सम्मिलित था। सिंचाई शाखा में हाईड्रोइलैक्ट्रिक विंग सम्मिलित था। बाद में विभाग की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के साथ विभाग के पुर्नगठन की आवश्यकता पड़ी। विद्युत से संबंधित कार्य सन्1950 में लोक निर्माण विभाग से पृथक कर ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिये गये। ऊर्जा विभाग लोक निर्माण सचिवालय के अधीन ही रखा गया। ऊर्जा विभाग प्रशासनिक विभाग था जिसके अधीन विद्युत विभाग सृजित किया गया, जो मुख्य अभियंता के अधीन रखा गया। सन् 1952 में लोक निर्माण सचिवालय को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। इस प्रकार भवन व मार्ग शाखा का सचिवालय अलग तथा सिंचाई शाखा का सचिवालय अलग हो गया। इस प्रकार सचिव लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) तथा सचिव लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) के दो अलग अलग पद तथा सचिवालय सृजित हो गये। सिंचाई शाखा के सचिव ऊर्जा विभाग के सचिव भी थे। विद्युत इंस्पैक्टर के संगठन का नियंत्रण भी भवन व मार्ग शाखा से हटाकर ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। दो वर्ष पश्चात् सन् 1954 में विभागों के नाम बदल दिये गये। सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा) का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग कर दिया गया तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) का नाम सिंचाई विभाग कर दिया गया। इसी वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों में विद्युतीकरण के कार्य को विद्युत इन्स्पैक्टर के संगठन से हटा कर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के अधीन कर दिया गया। विद्युत नियमों के अन्तर्गत वैधानिक दायित्वों को निभाने हेतु विद्युत इंस्पैक्टर के संगठन को ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया।

5. सन् 1931 से कुछ वर्षों तक लोक निर्माण विभाग का ह्रास हुआ। राजपुताना लोक निर्माण विभाग जो इस समय तक इस विभाग के संवर्ग से जुड़ा था जनवरी 1933 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया। इससे विभाग के संवर्ग की संख्या में बहुत कमी हुई, यह कमी 1939 में चरमसीमा

पर थी उस समय भारतीय इंजिनियर्स सेवा के संवर्ग की संख्या घट कर मात्र 12 रह गयी थी तथा उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा के संवर्ग की संख्या घट कर मात्र 25 रह गयी थी। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने से सैनिक जरूरतों हेतु हवाई अड्डों एवं अन्य इंजिनियरिंग कार्यों के निर्माण की आवश्यकता होने से दिशा बदल गई। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर युद्ध के पश्चात् के मार्ग प्रोग्राम व सैनिकों के पुनर्वास हेतु बड़े निर्माण कार्य हाथ में लिये गये। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् सन् 1952 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई जिसमें पूरे देश को सड़कों से जोड़ने पर बल दिया गया। स्थानीय निकायों की बहुत सारी सड़कें सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई। सरकार के विभिन्न विभागों हेतु भवनों के निर्माण का कार्य भी लोक निर्माण विभाग को दिया गया।

6. सन् 1943 के नागपुर सड़क सम्मेलन में देश में सड़कों के विकास हेतु 'स्टार व ग्रिड फार्मुला' तय किया गया। विकसित कृषि क्षेत्र में हर गॉव को मुख्य सड़क से अधिकतम् पॉच मील की दूरी के अन्तर्गत तथा अविकसित क्षेत्र में हर गॉव को मुख्य सड़क से अधिकतम् 20 मील की दूरी के अन्तर्गत लाने की योजना इस सम्मेलन में तय की गई। इस फार्मुले के अनुसार उत्तर प्रदेश में पक्की सड़को की लम्बाई 16553 मील आई। इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त करने की उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश से सन् 1947 में पक्की सड़कों की लम्बाई 9387 मील थी जो सन् 1966 में बढकर 16600 मील हो गई इसमें उत्तराखंड की सड़के सम्मिलित नहीं थी। नागपुर सम्मेलन के पश्चात् हुये राजनीतिक एवं आर्थिक, बदलावों, कृषि एवं औद्योगिक विकास के कारण यह आवश्यक माना गया कि सड़कों के जाल में नागपुर सम्मेलन में तय किये गये फार्मुले से दो गुना वृद्धि करनी होगी। इसके लिये सन् 1958 में बम्बई (आज की मुम्बई) रोड़ सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी राज्यों के मुख्य अभियंताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पूरे देश मे सड़को के निर्माण हेतु बीस वर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मार्ग निर्माण हेतु नया फार्मुला तैयार किया गया। इस फार्मुले के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को छोडकर सन् 1981 में पक्की सड़कों की लम्बाई 29200 मील प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस फार्मुले के अनुसार विकसित एवं कृषि क्षेत्र में हर गॉव की पक्की सड़क से दूरी अधिकतम 4 मील व किसी भी प्रकार की सड़क से दूरी अधिकतम 1.5 मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। अर्धविकसित क्षेत्र में ये दूरी क्रमशः 8 मील एवं 3मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। अविकसित एवं कृषि विहीन क्षेत्र में ये दूरियॉ क्रमशः 12 मील एवं 5 मील प्राप्त करने का लक्ष्य था। लोक निर्माण विभाग ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत योजनायें स्वीकृत कराकर इस लक्ष्य तक पहुॅचने का प्रोग्राम तैयार किया। सन् 1960 में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कई योजनायें शुरू की गई। प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के अलावा, अन्य प्रकार की सड़कों का निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण कार्य विशेषकर लखनऊ, बनारस, मथुरा, गोरखपुर, बुलन्दशहर, पीलीभीत, सहारनपुर और बलरामपुर के कार्य भी विभाग ने किये। भारत सरकार के केन्द्रीय सडक निधि के कार्य, तराई क्षेत्र की लेटरल मार्ग परियोजना (बरेली से बटिहा मार्ग) के निर्माण कार्य भी विभाग ने 1964 में शुरू किये। कम्युनिटि ड़वैलैपमैन्ट विभाग के पूरब के चार जिलों के गहन विकास के कार्य रूरल मैन पावर स्कीम के तहत विभाग ने किये। चीनी मिल क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण एवं सीमेंट कंक्रीट पथों के निर्माण का कार्य भी विभाग ने किया जिसमें चीनी मिलों ने भी कुछ धन दिया था।

8. मुख्य तकनीकी परीक्षक के अधीन टैक्नीकल ऑड़िट सैल स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय राजधानी में रखा गया, अधीक्षण अभियंता या इससे ऊँचे पद के उच्च अधिकारी मुख्य तकनीकी परीक्षक बनाये जाते थे, जो सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कार्य करते थे। टैक्नीकल ऑड़िट सैल की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को भारत सरकार या दूसरे इंजिनियरिंग विभागों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता था।

सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन एकाउन्ट ऑडिट सैल भी स्थापित किया गया था। यह सैल लेखाधिकारी के अधीन रखा गया। ऑडिट निरीक्षणों को त्वरित गति देना तथा खंड़ीय अधिकारी को एकाउन्टस् के सम्बन्ध में सलाह देना इस सैल के दायित्व थे। इसे अप्रैल 1968 में खत्म कर दिया गया।

9. प्रान्तों में चार बड़ें इंजिनियरिंग विभाग लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा व लोकल सैल्फ गर्वनमैंट इंजिनियरिंग ड़िपार्टमैंट थे। इन विभागों की इंजिनियरिंग सेवा के नियम काफी समय तक अधूरे तथा 'imprecise' रहे। इन नियमों को पूरा, सही और इनमें एक रूपता लाने की आवश्यकता हुई। इस हेतु राज्य सरकार ने जून 1966 में श्री जे. ड़ी. शुक्ल आई0सी0एस0 सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में राज्य इंजिनियरिंग सेवा तार्किकरण (Rationalization) समिति गठित की। मुख्य अभियंता लोकल सैल्फ गर्वनमैंट इंजिनियरिंग विभाग इस समिति के सचिव थे। इस समिति ने मई 1969 में अपनी आख्या शासन को प्रेषित की। सहायक अभियंताओं की Ad-hoc नियुक्ति बंद करके हर वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करना इस समिति की एक महत्वपूर्ण संस्तुति थी। अन्य महत्वपुर्ण संस्तुतियॉ थी; (1) सीधी भर्ती से स्थाई पदों को भरने की प्रक्रिया को बंद करना, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा सिर्फ अस्थाई पदों को भरना तथा बारी आने पर अधिकारियों को स्थाई करना, (2) अधीनस्थ इंजिनियरिंग सेवा एवं संगणकों से पदोन्नति करके सहायक अभियंता पद की **25%** रिक्तियों को भरना (3) सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव (4) सहायक अभियंता पद से अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति अयोग्य को छोड़कर ज्येष्ठता के सिद्धांत पर करना (5) सभी पदोन्नतियॉ तथा स्थाईकरण सक्षम विभागीय चयन समिति द्वारा हर वर्ष **regularly** करना (6) पहले चयन को सबसे अधिक महत्व देना–दूसरे शब्दों में जब किसी अधिकारी का कार्यवाहिक तौर पर चयन किया जाय तो मंशा उसे स्थाई पद पर चयन करने की होनी चाहिये जिससे स्थाईकरण के समय इस स्थिति को छोड़कर जब उसके खिलाफ ऐसा कुछ हो जिससे उसका स्थाईकरण न किया जाना न्यायोचित हो वह सामान्यतः चयनित हो जायें। (7) उसी पद के अधिकारियों में पहले चयनित व पदोन्नत अधिकारी बाद में चयनित पदोन्नत अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगें, लेकिन एक ही समय मेंचयनित व पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता वही रहेगी जो नीचे के पद पर थी। (8) अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थाई अधिशासी अभियंता होना तथा उत्तर प्रदेश इंजिनियरिंग सेवा में 15 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक। (9) अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति सख्ती से मैरिट के आधार पर । (10) अधीक्षण अभियंता से ऊपर के पद पर प्रोन्नति सख्ती से मैरिट के आधार पर। (11) इन इंजिनियरिंग विभागों के विभागाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति हेतु अधिकारी के अनुभव की प्रकृति व मात्रा पर पूरा विचार करना। इंजिनियरिंग विभाग की तकनीकि एवं प्रशासनिक मांग के अनुरूप अधिकारी का अनुभव होना आवश्यक।

10. 2 नवंबर 1964 को विभाग में प्रमुख अभियंता का पद सृजित किया गया । प्रमुख अभियंता का कार्य तथा दायित्व उस समय उनके अधीन कार्यरत मुख्य अभियंता तथा दो अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की गतिविधियों को नियंत्रित तथा एकीकृत करना था। लेटरल सड़क परियोजना, तराई सड़क परियोजना, पूर्वी जिलों का सघन विकास, इंजिनियरिंग शोध व इसका कार्यान्वयन सीधे प्रमुख अभियंता के अधीन थे । 18 जुलाई 1967 को यह पद खत्म कर दिया गया । नवम्बर 1979 में प्रमुख अभियन्ता के पद को दोबारा सृजित किया गया।

13. लोक निर्माण विभाग की प्रशासनिक इकाई वृत्त कार्यालय है । वृत्त कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्य करता है । अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता के अधीन अपने प्रशासनिक एवं सामान्य व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते है । अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करते हैं, कि उनके अधीन खण्ड सुचारू व सही प्रकार से कार्य करते रहें । अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करते हैं, कि कार्यों का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप हो, तथा उनका लेखा सही प्रकार रखा जाए । अधीक्षण अभियंता को ज्यादा से ज्यादा समय निर्माण कार्यो के निरीक्षण में देना चाहिये । खण्डीय एवं उपखण्डीय कार्यालयों के निरीक्षण को भी उचित समय देना चाहिये जिससे कि ये प्रभावी प्रकार से कार्य करते रहें ।

सही डिजाईन तथा उचित दरों पर बल देते हुये आगणनों की जांच करके मुख्य अभियंता को प्रेषित करने की अधीक्षण अभियंता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है । वृत्त के अधीन कार्यरत खण्डों में कार्यो का समन्वय, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य सिविल व मिलिट्री विभागों में तालमेल करना अधीक्षण अभियंता की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ।

14. लोक निर्माण की कार्यकारी इकाई खंडीय कार्यालय होता है । अधिशासी अभियंता के अधीन यह कार्यालय कार्य करता है । अधिशासी अभियंता खंड के सभी कार्यो के सही प्रकार से निष्पादन तथा सही प्रकार से लेखा रखने के लिये अधीक्षण अभियंता के प्रति जिम्मेदार होते है । कुछ अकार्यकारी खंड भी होते है, जो सर्वे,शोध, डिजाईन इत्यादि का कार्य करते है, जैसे कि सेतु डिजाईन एवं सर्वे खंड,भवन व मार्ग सर्वे खंड, भवन डिजाईन खंड इत्यादि । ये अकार्यकारी खंड भी अधिशासी अभियंता के अधीन होते है ।

लोक निर्माण विभाग मे खंडो के नाम प्रायः प्रान्तीय खंड,निर्माण खंड,अस्थाई खंड,सेतु निर्माण खंड, भवन खंड, मार्ग सर्वे खंड इत्यादि होते है । प्रान्तीय खंड सड़कों एवं भवनों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य करते है। ये खंड स्थाई होते है । कुछ भवन खंड, सेतु खंड, सेतु डिजाईन खंड, सर्वे खंड और शोध खंड भी स्थाई खंड होते है । बाकी खंड विशेष निर्माण कार्यो हेतु सृजित किये जाते है, जो अस्थाई होते है । इन खंडो द्वारा निर्मित कार्यो को पूर्ण होने पर अनुरक्षण हेतु स्थाई खंडो को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कार्यकारी खंड करीब रू0 4.00 करोड़ प्रतिवर्ष के निर्माण–सह–अनुरक्षण कार्यभार होने पर सृजित किये जाते है । अधिशासी अभियंता आहरण एवं वितरण अधिकारी होता है जो लेखा एवं अभिलेखों को सही प्रकार से रखता है ।

अधिशासी अभियंता इंजिनियरिंग मामलों में स्थानीय निकायों एवं सरकारी विभागों का पदेन सलाहकार होता है । नगरपालिका के जो मामले उसे संदर्भित किये गये हों उनके लिये अधिशासी अभियंता डिविजनल कमिश्नर का व्यवसायिक सलाहकार होता है । हर खंड मे महालेखाकार कार्यालय द्वारा एक लेखाकार तैनात किया जाता है । जिसका दायित्व अधिशासी अभियंता को लेखे से संबधित विषयों पर सहायता तथा सलाह देना है। लेखाकार की जिम्मेदारी वाउचरों को ऑडिट करने की भी है, जिससे कि वित्तीय नियमितता भुगतान से पूर्व सुनिश्चित हो सके । कार्यभार के अनुसार चार या अधिक सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता के अधीन कार्यरत रहते है । उनकी जिम्मेदारी यह है कि वे कार्यो का निर्माण विशिष्टियों तथा डिजाईन के अनुरूप अधिशासी अभियंता के नियंत्रण तथा मार्ग दर्शन में करायें । जो सहायक अभियंता खंड के मुख्यालय से दूर के स्थानों पर तैनात किये जाते थे उन्हें कार्यहित तथा आवश्यकता हेतु आहरण एवं वितरण अधिकार Delegate कर दिये जाते थे। इन सहायक अभियंताओं को उपखंड अधिकारी कहा जाता था। ये सही प्रकार से लेखा रखने के लिये जिम्मेदार होते थे। जो उपखंड अधिकारी जिला मुख्यालय पर तैनात हाते थे उन्हें जिला इंजिनियर के नाम से जाना जाता था ।

विद्युत एवं यांत्रिक खंड में भी इसी प्रकार इन्हीं पदों के अधिकारी होते है जो विद्युत या यांत्रिक इंजिनियरी में योग्यता रखते है। ये खंड सिविल खंडो में कार्यरत मशीनरी, यंत्र संयत्र इत्यादि की मरम्मत तथा सिविल खंडो द्वारा निर्मित किये जा रहे भवनों में विद्युतीकरण का कार्य करते है।

सहायक अभियंताओं की मदद कनिष्ठ अभियंता करते है, जो कि कार्यो के निर्माण की देखभाल तथा उनकी माप अंकित करते है। पहले अस्थाई श्रमिक कार्य की आवश्यकतानुसार रख लिये जाते थे, जिन्हें सीधे कार्य की लागत से भुगतान कर दिया जाता था। अब यह प्रथा खत्म कर दी गई है ।

15. लोक निर्माण विभाग की कुछ महत्वपूर्ण समितियां निम्नवत है ।

15.1 इंडियन रोड़ कांग्रेस– यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त तकनीकि संगठन है, जो मार्ग तथा सेतुओं के संबध में कोड एवं जरनल प्रकाशित करता है । प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग इसकी कार्य समिति के पदेन सदस्य होते है। आई0आर0सी0 का सामान्य सम्मेलन वर्ष में एक बार विभिन्न राज्यों

में आयोजित किया जाता है। इसकी तकनीकी उपसमिति की बैठक समय–समय पर आयोजित की जाती है। संगठन इस प्रकार विभिन्न राज्यों के तकनीकि मत एवं जानकारी के आदान–प्रदान में सहायता प्रदान करता है। यह संगठन यह भी सुनिश्चित करता है कि पूरे भारतवर्ष में यातायात प्रणाली समान रूप से विकसित हो ।

15.2 विधान सभा की लोक निर्माण विभाग स्थायी समिति– लोक निर्माण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा कुछ नामित विधायक इस समिति के सदस्य होते है । यह समिति लोक निर्माण विभाग की कार्यविधि, प्रगति तथा दिक्कतों की समीक्षा करती है। यह समिति विभाग के संबंध में सुझाव भी देती है ।

लोक निर्माण विभाग के संबध में कानून नियम विनियम व सारसंग्रह

क0सं0	कानून,नियम,सारसंग्रह इत्यादि का नाम	वर्ष	प्राधिकरण जिसने यह कानून,नियम,सारसंग्रह बनाया
	Act		
1.	Northern India Ferries Act	1878	भारत सरकार
2.	U.P Roadside Land Control Act	1945	उत्तर प्रदेश सरकार
3.	National Highways Act	1956	भारत सरकार
	Rules, Regulations and Manuals		
4.	Manual of Orders, Buildings and Roads Branch,Vols. 1 and 2	1937	उत्तर प्रदेश सरकार
5.	Detailed Specifications. Section (A)- Buildings Section (B)- Roads	–	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
6.	Maintenance Manual	–	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
7.	Well Foundations for Roads and Bridges	1960	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
8.	Hand Book of Decisions on Service Conditions of Work-charged Employees	1959	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
9.	Circulars on Buildings and Roads	1959	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
10.	Indian Road Congress code for Bridges	–	Indian Road Congress.
	Reports		
11.	P.W.D. Works Committee Report	1952	उत्तर प्रदेश सरकार
12.	P.W.D. Rates Committee Report	1953	उत्तर प्रदेश सरकार
13.	P.W.D. Reorganization committee Report	1957	उत्तर प्रदेश सरकार

1.1 **लोक**

प्राधिकरण के उद्देश्य :–

लोक निर्माण विभाग का मुख्य उद्देश्य जनता को सुगम एवम् सुरक्षित यातायात हेतु वित्तीय संसाधनों के अधीन गुणवत्तापूर्ण एवम् व्यवस्थित मार्ग/सेतु उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त विभाग का यह प्रयास रहता है कि वर्षभर सभी मार्ग यथासम्भव यातायात हेतु खुले रहें और किसी मार्ग के मलुवों अथवा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात को बन्द होने पर शीघ्रातिशीघ्र खोलने के लिये कार्यवाही की जाती है। जनता को वाहनों द्वारा यात्रा करने में

असुविधा न हो, इसके लिये सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत विभाग मार्गों की सतहों को गढ्ढा रहित बनाये रखने के लिये समुचित उपाय करता रहता है तथा समय–समय पर पक्की सड़कों का नवीनीकरण/पुनर्लेपन का कार्य करवाया जाता है।

1.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :–

वर्तमान समय में किसी प्रदेश की समृद्धि का आंकलन उसकी सड़कों के विस्तार, सुदृढ़ता, राइडिंग–क्वालिटी सुधार एवं उन पर चलने वाले वाहनों की संख्या पर निर्भर करता है। सुदूरवर्त्ती ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी की नई–नई उपलब्धियों को जानने का श्रेय मार्ग–संचार के माध्यम को ही जाता है; क्योकि यह माध्यम तीव्रगामी एवं सस्ता है। उक्त मिशन की पूर्ति के साथ–साथ दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से मार्ग–निर्माण के माध्यम से जोड़ने, कच्चे मार्गों को पक्का/डामरीकृत करने, मिसिंग लिंक/मिसिंग सेतु का निर्माण करने, यातायात–वृद्धि के फलस्वरूप महत्वपूर्ण नगरों/कस्बों में बाई पास बनाने, पुराने पुलों का पुनर्निर्माण करने तथा संकरे पुलों को चौड़ा करने, विभिन्न ग्रामों को भविष्य में मार्गों द्वारा जोड़ने एवं मार्गों के ज्यामितिय एवं जंक्शन्स का सुधार करने का मिशन लोक निर्माण विभाग का है।

1.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

दिनांक 9.11.2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का ही एक भाग था। पूर्ववर्त्ती राज्य में इस विभाग का जन्म हुए लगभग 150 वर्ष से भी अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के अलग गठन एवं इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के परिदृश्य में इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

1.4 लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य :–

लोक निर्माण विभाग के मुख्य कर्त्तव्य निम्नवत् हैं :–

(1) मार्गों/सेतुओं के निर्माण/पुनःनिर्माण/सुधार कार्यों हेतु यथासमय नियोजन करना।

(2) मार्गों एवं सेतुओं का सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु वांछित रखरखाव करना।

(3) नोडल एजेन्सी के रूप में मार्ग/सेतु कार्यों के क्रियाकलापों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा–बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, नगर पालिका/नगर निगम, जिला परिषद्, सिंचाई विभाग, वनविभाग, मण्डी परिषद्, गन्ना विभाग एवं अन्य सम्बन्धित मार्ग–निर्माण कीविकास एजेन्सियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

(4) रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित क्षेत्र में मार्गों के दोनों ओर निर्माण की अनुमति दिये जाने तथा विभाग द्वारा अध्याप्त भूमि पर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने सम्बन्धी कार्यवाही करना।

1.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :–

लोक निर्माण विभाग के मुख्य–मुख्य कृत्य निम्नवत् हैं :–

(1) विभिन्न राजकीय विभागों के भवनों का निर्माण करना।
(2) मार्गों के कोर नैटवर्क के सुधार/सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय अनुरोध पर बाह्य सहायतित एजेन्सी से वित्त–पोषण प्राप्त करना।
(3) पब्लिक/प्राइवेट पार्टीशिपेशन द्वारा मार्ग–निर्माण के प्रयास करना।
(4) केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए मार्ग–निर्माण हेतु स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त करना।
(5) राज्य एवं जिला योजना में स्वीकृत मार्गों व सेतुओं का निर्माण।
(6) मार्गों का रखरखाव।

1.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	प्रदत्त सेवाएं	संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1	मार्गों/सेतुओं का निर्माण।	प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामों को वाहन यातायात उपलब्ध कराने के लिये मार्गों एवं सेतुओं का निर्माण कराया जाता है।
2	कच्चे मार्गों को पक्का करना।	सुविधाजनक यातायात एवं आवागमन हेतु पुराने कच्चेमार्गों को पक्का/डामरीकृत किया जाता है।
3	मार्गों/सेतुओं का पुनः निर्माण एवं सुधार	सभी महत्वपूर्ण नगरों, ग्रामों, व्यावसायिक मण्ड़ियों, तीर्थ स्थलों, एवं पर्यटन स्थलों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्गों एवं सेतुओं का पुनःनिर्माण एवं सुधार किया जाता है।
4	मार्गों का उच्चीकरण	यातायात के घनत्व के बढ़ने, महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों एवं पर्यटन स्थलों तथा महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाता है।
5	भवनों का निर्माण	अपने विभाग के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर निर्माण किया जाता है।
6	मार्गों/सेतुओं का रखरखाव	सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु मार्गों एवं सेतुओं का रखरखाव/अनुरक्षण किया जाता है।

1.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा :–

लोक निर्माण विभाग में एक कैबिनैट मंत्री के अधीन सचिवालय में सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव कार्यरत हैं।

विभाग में प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) का कार्यालय देहरादून में जिसके अधीन 02 मुख्य अभियन्ता स्तर–।, मुख्यालय तथा 02 वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, अधिष्ठान/नियोजन हैं तथा गढ़वाल क्षेत्र के लिए पौडी/देहरादून/टिहरी में एक–एक मुख्य अभियन्ता एवं कुमायूँ क्षेत्र के लिए अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पिथौरागढ़ में एक–एक मुख्य अभियन्ता कार्यालय स्थापित हैं। साथ ही मुख्य अभियन्ता, रा0मा0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक हेतु एक–एक पद मुख्यालय देहरादून में स्थापित है। विभागीय ढांचे के अन्तर्गत वृत्तीय स्तर पर 39 अधीक्षण अभियन्ता तथा खण्डीय स्तर पर 106 अधिशासी अभियन्ता राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक स्थिति एवं कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप कार्यरत एवं स्थापित हैं, जिनके अधीन विभिन्न श्रेणी के 1589 अभियन्ता तथा लगभग 18,000 कुशल/अकुशल श्रमिक और मिनिस्टीरियल स्टाफ कार्यरत हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालयों को छोडकर। क्योकि पी0एम0जी0एस0वाई0 विभाग ग्राम्य विकास विभाग से संचालित है।

1.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन–सहयोग की अपेक्षाएं :–

मार्गों एवम् सेतुओं के निर्माण/पुनःनिर्माण व रखरखाव के कार्यों में जन–सहयोग की अपेक्षा विभाग द्वारा की जाती है। विशेषतः मार्गों के समरेखन तथा सेतुओं के स्थल–चयन में जनता की भागीदारी होने तथा उनके सुझाव पर विचार करने पर निर्माण–कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराना सम्भव हो पाता है। इसके अतिरिक्त निकटवर्त्ती क्षेत्रों में उपलब्ध निर्माण सामग्रियों यथा रेत, बजरी, पत्थर आदि के उपयोग के लिये भी नाप भूमि की स्थिति में जन–सहयोग की आवश्यकता पड़ती रहती है, अन्यथा दूरस्थ क्षेत्रों से इन सामग्रियों की व्यवस्था करने पर योजना की लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। जनता से यह भी अपेक्षा की जाती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा मार्ग पर निजी निर्माण–सामग्रियां एकत्रित न की जाये, ताकि यातायात अवरूद्ध न हों एवं मार्ग–सतह को क्षति न पहुंचे। मार्गों के किनारे नालियों से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके, इसके लिये जनता नालियों में कूड़ा–कर्कट न डालें।

1.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :–

जन–सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनता से व्यक्तिगत सम्पर्क तो किया ही जाता है, जनता द्वारा प्रेषित पत्रों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है।

1.10 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग के हर कार्यालय में कार्य–दिवसों में समय–सीमा निर्धारित की गयी हैं, जिसमें कार्यालय से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं एवं शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यालय में एक शिकायत–पेटी रखी गयी हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना शिकायती पत्र डाल सकता है और सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस पत्र पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

1.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

यह सूचना इस हस्त पुस्तिका के मैनुअल संख्या 9 पर उपलब्ध है।

1.12 कार्यालय के खुलने का समय :– प्रातः 10.00 बजे।
कार्यालय के बन्द होने का समय :– सायं 5.00 बजे।

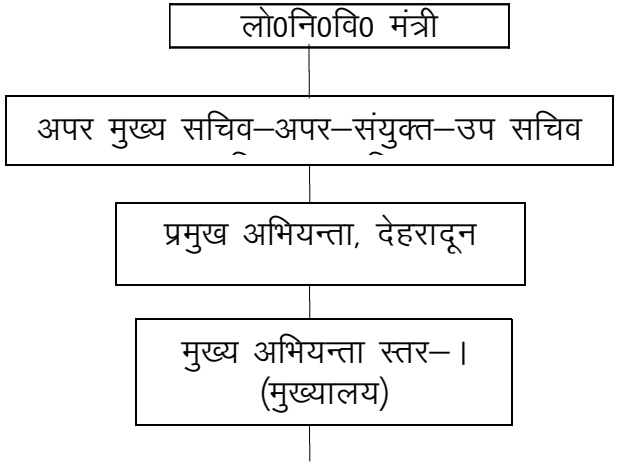

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों की सूची

क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा		क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी			कुल खण्ड
प्रथम वृत्त अल्मोड़ा	**तृतीय वृत्त पिथौरागढ़**	**द्वितीय वृत्त, नैनीताल**	**चतुर्थ ऊधमसिंहनगर**	**पंचम् वृत्त, वि0/यां0 खण्ड, हल्द्वानी**	
प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर	वि0/यां0 खण्ड, बाजपुर	सिविल–21
प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत	प्रान्तीय खण्ड, डीडीहाट	निर्माण खण्ड, नैनीताल	निर्माण खण्ड, खटीमा	वि0/यां0 खण्ड, पिथौरागढ़	यॉत्रिक–03
निर्माण खण्ड रानीखेत	निर्माण खण्ड, अस्कोट	निर्माण खण्ड, रामनगर	निर्माण खण्ड, काशीपुर	वि0/यां0 खण्ड, भीमताल	
निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	अस्थाई खण्ड, बेरीनाग	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी			
प्रान्तीय खण्ड बागेश्वर	प्रा0ख0 चम्पावत	अस्थाई खण्ड, भवाली			
निर्माण खण्ड, कपकोट	नि0ख0 लोहाघाट				
	ढुलीगाढ़ टनकपुर (निःसंवर्गीय)				
खण्ड का योगः– 06	**07**	**05**	**03**	**03**	**24**

क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून			क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी				कुल खण्ड
9वां वृत्त, देहरादून	हरिद्वार वृत्त, हरिद्वार	11वां वृत्त वि0/या0 वृत्त, देहरादून	12वां वृत्त पौड़ी	7वां वृत्त, गोपेश्वर	षष्टम् वृत्त, उत्तरकाशी	8वां वृत्त नई टिहरी	
प्रान्तीय खण्ड, देहरादून अस्थाई खण्ड, चकराता अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश अस्थाई खण्ड, सहिया निर्माण खण्ड, देहरादून	प्रा0ख0 हरिद्वार नि0ख0 रूड़की सिविल खण्ड लक्सर	वि0/या0 खण्ड, ऋषिकेश वि0/या0 खण्ड, गोपेश्वर वि0/या0 खण्ड, देहरादून	प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी निर्माण खण्ड, पौड़ी निर्माण खण्ड, श्रीनगर प्रान्तीयखण्ड, लैन्सडौन निर्माण खण्ड, दुगड्डा निर्माण खण्ड बैजरों निर्माण खण्ड पावौ	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर प्रान्तीय खण्ड कर्णप्रयाग निर्माण खण्ड, थराली निर्माण खण्ड, गौचर नि0ख0 गैरसैंण सिविल खण्ड पोखरी प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग निर्माण खण्ड, ऊखीमठ नि0ख0 गुप्तकाशी (डी0डी0एम0ए0)	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी प्रान्तीय खण्ड, भटवाड़ी निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी (मु0 चिन्यालीसौण) निर्माण खण्ड, पुरोला निर्माण खण्ड, बड़कोट	अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ निर्माण खण्ड, नई टिहरी अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर निर्माण खण्ड, चम्बा अस्थाई खण्ड, घनसाली निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	सिविल 36 यॉत्रिक 03
खण्ड का योगः– 05	**03**	**03**	**07**	**09**	**05**	**07**	**39**

मुख्य अभियन्ता रा0मा0 एवं ब्रिजेज देहरादून गढ़वाल मण्डल		मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0 देहरादून				कुल खण्ड
10वां रा0मा0 वृत्त, देहरादून	रा0मा0 वृत्त हल्द्वानी	ए0डी0बी0 वृत्त पिथौरागढ़	**ADB** वृत्त टिहरी	सभी खण्ड निःसंवर्गीय है	सभी खण्ड नि :संवर्गीय है।	
रा0मा0 खण्ड, रूड़की रा0मा0 खण्ड, बड़कोट रा0मा0 खण्ड, धुमाकोट रा0मा0 खण्ड श्रीनगर रा0मा0 खण्ड रूद्रप्रयाग रा0मा0 खण्ड डोईवाला	रा0मा0 खण्ड, लोहाघाट रा0मा0 खण्ड, रानीखेत रा0मा0 खण्ड, हल्द्वानी	ए0डी0बी0 खण्ड पिथौरागढ़ ए0डी0बी0 खण्ड बागेश्वर ए0डी0बी0 खण्ड रूद्रपुर निर्माण खण्ड–2 नैनीताल **ADB** निर्माण खण्ड–2 अल्मोड़ा **ADB**	निर्माण खण्ड पौड़ी **ADB** ए0डी0बी0 उत्तरकाशी निर्माण खण्ड–2 **ADB** टिहरी ए0डी0बी0 खण्ड गौचर निर्माण खण्ड–2 **ADB** देहरादून ए0डी0बी0 दुगड्डा	ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड उत्तरकाशी ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड टिहरी ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड रूद्रप्रयाग ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड चमोली	ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड अल्मोड़ा ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड पिथौरागढ़ ए0डी0बी0 (आपदा) खण्ड बागेश्वर	रा0मा0– 09 ए.डी.बी.– 11 ए.डी.बी. आपदा, पी.एम.जी.एस.वाई. (निःसंवर्गीय)– 07
खण्ड का योगः– 06	**03**	**05**	**06**	**04**	**03**	**27**

मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड का सक्षिप्त इतिहास

जून 2013 में मानसून अपेक्षित समय से लगभग दो सप्ताह पूर्व आ गया था। 15 से 17 जून 2013 को उत्तराखण्ड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अनेक भागों में बादल फटने की घटनाएं हुई और भारी वर्षा (64.5–124.4 मि.मी.) से लेकर अति भारी वर्षा (124.5–244.4 मि.मी.) हुई। अपूर्व वर्षा के परिणाम स्वरूप जल स्तरों में अचानक वृद्धि हो गई जिससे मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और अन्य नदी तटों पर अचानक बाढ़ का प्रकोप हो गया तथा अनेक स्थानों पर भारी भूस्खलन हो गया। इसके अतिरिक्त निरंतर वर्षा और चोराबारी हिमनद के गलने के कारण चोराबारी झील में जल स्तर बढ़ने लगा। झील के कमज़ोर हिमोढ़ अवरोध दरक गये जिसके कारण भारी जल प्रवाह के साथ विशाल हिमनद गोलाष्म पूर्व की ओर आ लुढ़के जिससे केदारनाथ नगर, रामबाड़ा, गौरीकुंड और अन्य स्थानों पर भीषण तबाही हुई। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस घटना से उत्तराखण्ड राज्य में 90,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

इस आपदा के कारण बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद सर्वाधिक प्रभावित हुए। यह यात्रा मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा पर्यटक व यात्रा सीज़न इस समय चरम पर होने के कारण मृतकों, लापता और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। कुल 580 मानव जीवन की क्षति हुई, 5,200 से अधिक व्यक्ति लापता हुए जो अब भी लापता हैं, 4,200 गांव प्रभावित हुए, 9,200 पशु खो गये और 3,320 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये। इस घटना के कारण 70,000 पर्यटक और 1,00,000 स्थानीय निवासी भी ऊँचे पर्वतीय भागों में फंसे रहे।

अनेक भूस्खलनों और मलबे से भरी नदियों द्वारा क्षरण से अनेक स्थानों पर सड़कें/राज्य मार्ग टूट गये तथा अनेक पुल (स्टील गर्डर से बने पुल, बीम वाले पुल, सस्पेंशन/केबल पुल) बह गये। राज्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित हो गया और इसके साथ–साथ दूर–संचार की लाईनों में व्यवधान आ गया जिससे आपदा का प्रभाव और भी बढ़ गया। केदारनाथ के आसपास के होटल, विश्रामगृह, दुकानें पूरी तरह तहस–नहस हो गये।

उत्तराखण्ड सरकार भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) और नेशनल डिज़ास्टर रेस्पान्स फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) की सहायता से तीव्रता से आपदा के पश्चात् आपात राहत पहुंचाने और निष्क्रमण के कार्यों में अत्यन्त सक्रिय रही। अत्यन्त भारी वर्षा के कारण प्रचालन कार्य विलंबित और कठिन हो गये तब भी वायु सेना, सेना, अर्ध सैनिक बलों, सिविलियन हेलीकॉप्टर्स व मार्ग वाहनों ने 1,10,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला।

आर्थिक मामले विभाग (डी.ई.ए.) भारत सरकार, से निवेदन प्राप्त होने पर विश्व बैंक (वि.बैं.) और एशियन डेवेलप्मैंट बैंक (ए.डी.बी.) ने राज्य के भीतर एक संयुक्त त्वरित हानि और आवश्यकता निर्धारण (जे.आर.डी.एन.ए.) मिशन स्थापित किया। इस जे.आर.डी.एन.ए. ने 29 जुलाई से 07 अगस्त, 2013 तक राज्य का दौरा किया तथा भारत सरकार के सहयोग से हानियों का बहु क्षेत्रीय निर्धारण कर तुरन्त रिकवरी तथा पुनर्निमाण आवश्यकता संरचना का आधार तय किया। यद्यपि आपदा से लगभग सभी जनपद प्रभावित हुए थे तथापि निर्धारण को मुख्य रूप से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों – बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी पर केन्द्रित किया गया।

1.1 <u>परियोजना विवरण</u> घटक–1: ग्रामीण मार्ग संपर्क – रू0 970.30 करोड़

1. इस घटक का उद्देश्य है – क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलों, ग्राम मार्गों अन्य जनपद मार्गों, पैदल मार्गों, पैदल मार्ग पुलों का पुनर्निमाण कर आपदा के कारण कट चुके संपर्क को पुनःस्थापित करना। मार्गों और पुलों का निर्माण नवीनतम सरकारी डिजायन दिशा–निर्देशों के अनुसार भूकंप और बाढ़ को रोकने लायक डिजायन किया जायेगा। प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के समीप के बाजार तक पहुंच बहाल हो जायेगी जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि होगी तथा स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं तक समय से पहुंच भी आसान होगी।

2. उप–घटक 1.1 ग्रामीण मार्ग – रू0 751.20 करोड़

इससे पी.एम.जी.एस.वाय कार्यक्रम मानकों को अपनाते हुए लगभग 3,600 कि.मी. क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के पुनर्निमाण में सहायता मिलेगी। इसमें नये जल निकासी कार्यों व पुलों का निर्माण तथा भूस्खलन को रोकने के लिये पुश्ता निर्माण व अन्य संरचनाएं तथा छोटे सुधार कार्य सम्मिलित हैं।

उप–घटक 1.2 अन्य जनपद मार्ग (ओ.डी.आर.) – रू0 81.38 करोड़ – इसमें पहुंच को आसान बनाने तथा संपूर्ण आर्थिक विकास हेतु अवसर प्रदान करने के लिये लगभग 675 कि.मी. अन्य जनपद मार्गों का पुनर्निमाण, ग्रामीण मार्गों को मुख्य जनपद मार्गों (एम.डी.आर) राज्यीय राज मार्ग (एस.एच.) और/या राष्ट्रीय मार्गों (एन.एच.) से जोड़ना सम्मिलित होगा।

उप–घटक 1.3 पैदल मार्ग और पुल – रू0 137.72 करोड़ – इसके अन्तर्गत लगभग 440 कि.मी. पैदल मार्गों और 140 पैदल पुलों का पुनर्निमाण होगा जिससे सुदूर क्षेत्र में स्थित गांवों में पैदल मार्ग से पहुंचने की सुविधा प्राप्त होगी।

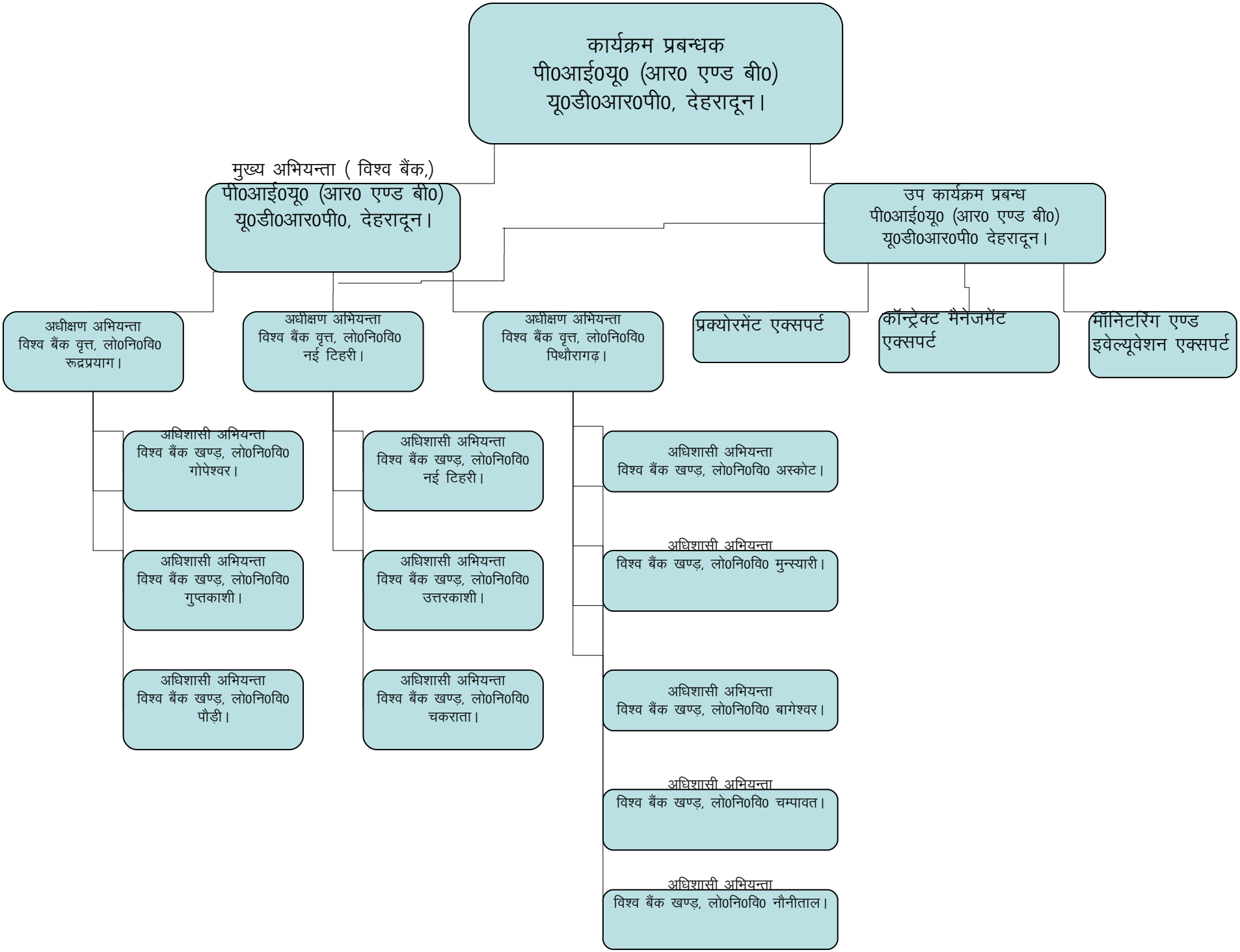
कार्यक्रम प्रबन्धक
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0, देहरादून।
मुख्य अभियन्ता (विश्व बैंक,)
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0, देहरादून।
उप कार्यक्रम प्रबन्ध
पी0आई0यू0 (आर0 एण्ड बी0)
यू0डी0आर0पी0 देहरादून।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
नई टिहरी।
अधीक्षण अभियन्ता
विश्व बैंक वृत्त, लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।
प्रक्योरमेंट एक्सपर्ट
कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट
मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्यूवेशन एक्सपर्ट
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
गोपेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
गुप्तकाशी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
पौड़ी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
नई टिहरी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
चकराता।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 मुन्स्यारी।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत।
अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 नौनीताल।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 299/XXVII/(7)50(16)/2016 वित्त अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 30.12.2016 द्वारा राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के आधार पर उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान निम्नवत हैं।

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान+ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	प्रमुख अभियन्ता	67000–79000	01	विभागाध्यक्ष
2	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	37400–67000+10000	03	मुख्यालय+रा0मा0, देहरादून+ए0डी0बी0, देहरादून।
3	वित्त नियन्त्रक	वित्त/लेखा संवर्ग	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय पर
4	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	37400–67000+8900	07	अल्मोडा/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/देहरादून/रा0मा0 देहरादून
5	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	15600–39100+7600	21	1. वृत्त मुख्यालय–17 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर 04 पद
6	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)	15600–39100+7600	02	वि0/यां0 वृत्तों के हेतु
7	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	15600–39100+6600	94	1.सिविल खण्ड मुख्यालय हेतु–67 2.एन0एच0 खण्ड–09 3. जोनल मुख्यालय–09 4. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1) मुख्यालय–09 पद
8	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	15600–39100+6600	06	1. वि0/यां0 खण्ड मुख्यालय–06
9	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100+5400	365	1. एन0एच0 व नोडल सिविल खण्ड – 5 प्रति खण्ड 22X5= 110 पद 2. अन्य सिविल खण्ड– 4 प्रति खण्ड 55 X4=220 पद 3. सिविल वृत्त में एक सहायक अभियन्ता प्रति वृत्त 21X1=21 4. जोनल मुख्यालय प्रति तीन–2 पद 6X1=6 5. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर–1)

				मुख्यालय–09 पद
10	सहायक अभियन्ता (वि0 / यां0)	15600–39100+5400	28	1. वि0 / यां0 खण्डों में 4 सहायक अभियन्ता प्रति खण्ड 6X4=24 पद 2. वि0यॉ0 02 वृत्त हेतु 02X2 =04
11	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक	15600–39100+7600	01	विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु
12	भू–वैज्ञानिक	15600–39100+6600	03	प्रति जोनल कार्यालय हेतु एक
13	सहायक भू–वैज्ञानिक	15600–39100+5400	04	प्रति जोनल कार्यालय हेतु एक

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / प्राविधिक / विद्युत / यॉत्रिक) तथा मानचित्रकार से सम्बन्धित सूचना

(दिनांक 01.11.2019)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पद			कुल कार्यरत			कुल रिक्ति		
			सीधी भर्ती के	पदोन्नति के	योग	सीधी भर्ती के	पदोन्नति के	योग	सीधी भर्ती के	पदोन्नति के	योग
1	**कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)**	44900–142400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–7)	844	44	**888**	781	37	**818**	63	7	**70**
2	**कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)**	44900–142400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–7)	56	56	**112**	39	43	**82**	17	13	**30**
3	**कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)**	44900–142400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–7)	43	2	**45**	32	1	**33**	11	1	**12**
4	**कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक)**	44900–142400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–7)	57	3	**60**	55	1	**56**	2	2	**4**
5	**मानचित्रकार**	35400–112400 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–6)	96	11	**107**	58	8	**66**	38	3	**41**

प्रमुख अभियन्ता/जोनल कार्यालय संवर्गः–

क्र0सं0	पूर्व में सृजित ढाचां/पदनाम	वेतनमान (7वां वेतनमान)	पुर्नगठन के पश्चात स्वीकृत पदो की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 लेवल–10	10	विभागाध्यक्ष कार्यालय –02 जोनल कार्यालय/रा0मा0 कार्यालय हेतु 01–01
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 लेवल–8	13	विभागाध्यक्ष कार्यालय –07 जोनल कार्यालय 01–01
3	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400 लेवल–7	13	विभागाध्यक्ष कार्यालय 08 जोनल कार्यालय पौडी/अल्मोडा 01–01 मुख्य अभियन्ता रा0मा0/ ए0डी0बी0 कार्यालय 01+01+ 01
4	प्रधान सहायक	35400–112400 लेवल–6	29	विभागाध्यक्ष कार्यालय 15 जोनल कार्यालय पौडी/अल्मोडा/देहरादून/टिहरी/हल्द्वानी 02–02 मुख्य अभियन्ता पिथौरागढ/रा0मा0 हल्द्वानी /रा0मा0 देहरादून/ ए 0डी0बी0देहरादून कार्यालय 01–01
5	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल–5	45	विभागाध्यक्ष कार्यालय 26 जोनल कार्यालय पौडी/अल्मोडा 03–03 देहरादून/टिहरी/हल्द्वानी मुख्य अभियन्ता पिथौरागढ/रा0मा0 हल्द्वानी /रा0मा0 देहरादून 02–02 मु0अ0 ए0डी0बी0देहरादून कार्यालय 01
6	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3	52	विभागाध्यक्ष कार्यालय 30 जोनल कार्यालय पौडी/अल्मोडा 04–04 देहरादून/टिहरी/हल्द्वानी मुख्य अभियन्ता पिथौरागढ/रा0मा0 हल्द्वानी /रा0मा0 देहरादून/ए0डी0बी0देहरादून कार्यालय 02–02
7	विधि सहायक	35400–112400 लेवल–6	08	प्रमुख अभियन्ता 02 जोनल कार्यालय 01–01
लेखा संवर्गः–				
1	सहायक लेखाधिकारी	47600–151100 लेवल–8	01	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय
2	लेखाकार	35400–112400 लेवल–6	05	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय
3	सहायक लेखाकार	29200–92300 लेवल–5	09	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय – 05 जोनल कार्यालय पौडी/देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोडा – 04

वृत्तीय संवर्गः–

क्र0सं0	पूर्व में सृजित ढाचां/पदनाम	वेतनमान	पुर्नगठन के पश्चात स्वीकृत पदो की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 लेवल–10	10	01वां 02वां 03वां0 04 वां0 06वां 07 वां 08वां 09वां 10वां 12 वां वृत्त हेतु 01–01
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 लेवल–8	14	01वां 02वां 03वां0 04 वां0 05वां 06वां 07 वां 08वां 09वां 10वां 11 वां 12 वां सिविल वृत्त हरिद्वार/रा0मा0 हल्द्वानी कार्यालय हेतु 01–01
3	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400 लेवल–7	14	01वां 04 वां0 05वां 07 वां 09वां 11वां 12 वां सिविल वृत्त हरिद्वार, रूद्रप्रयाग,बागेश्वर,चम्पावत/रा0मा0 हल्द्वानी/ ए0डी0बी0 टिहरी/पिथौरागढ़ कार्यालय हेतु 01–01
4	प्रधान सहायक	35400–112400 लेवल–6	30	01वां 02वां 03वां0 04 वां0 05वां 06वां 07 वां 08वां 09वां 11 वां 12 वां वृत्त हेतु 02–02 10वां रा0मा0 वृत्त देहरादून/हल्द्वानी/सिविल वृत्त हरिद्वार, रूद्रप्रयाग,बागेश्वर,चम्पावत,हल्द्वानी/ए0डी0बी0 कार्यालय हेतु 01–01
5	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल–5	47	01वां 02वां 03वां0 04 वां0 06वां 07 वां 08वां 09वां 10वां वृत्त हेतु 03–03 05वां 11वां 12वां वृत्त /सिविल वृत्त हरिद्वार, रूद्रप्रयाग,बागेश्वर,चम्पावत/रा0मा0 वृत्त,हल्द्वानी/ए0डी0बी0 पिथौरागढ़ कार्यालय हेतु 02–02
6	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3	54	01वां 02वां 03वां0 04 वां0 06वां 07 वां 08वां 09वां 10वां 11 वां 12 वां वृत्त /सिविल सिविल वृत्त हरिद्वार, रूद्रप्रयाग,बागेश्वर,चम्पावत,हल्द्वानी 03–03 05वां वृत्त/ए0डी0बी0टिहरी/पिथौरागढ़ कार्यालय हेतु 02–02

चतुर्थ श्रेणी कार्मिको की स्थितिः– (मृत संवर्ग)

क्र0सं0	पूर्व में सृजित ढाचां/पदनाम	वेतनमान	पुर्नगठन के पश्चात स्वीकृत पदो की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1	अर्दली	19900–63200 लेवल–2	6	शासनादेश संख्या 877/XXXVII (7)च0श्रे0/11 दिनांक 24.03.2011 द्वारा समूह घ कर्मचारियो के पद मृत संवर्ग (Daying Cadder) घोषित किया जा चुका है।
2	दफ्तरी	19900–63200 लेवल–2	6	
3	अनुसेवक	18000–56900 लेवल–1	37	
4	डाकरनर	18000–56900 लेवल–1	10	
5	चौकीदार	18000–56900 लेवल–1	04	
6	सफाई नायक	18000–56900 लेवल–1	03	

उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की सूचना

क्रम सं0	पदनाम	वर्तमान अद्यतन ढांचा(शा0सं0– 1333, दि0 01.07.2016 के अनुसार स्वीकृत पद	पद का वेतनमान
1–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	61	₹15600–39100, ग्रेड वेतन–5400 नया वेतनमान– ₹ 56100–177500,लेबल–10
2–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	82	₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन–4800 नया वेतनमान–₹ 47600–151100, लेबल–08
3–	प्रशासनिक अधिकारी	82	₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन–4600 नया वेतनमान–₹ 44900–142400, लेबल–07
4–	प्रधान सहायक	184	₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 नया वेतनमान–₹ 35400–112400, लेबल–06
5–	वरिष्ठ सहायक	285	₹ 5200–20200, ग्रेड वेतन–2800 नया वेतनमान–₹29200–92300, लेबल–05
6–	कनिष्ठ सहायक	326	₹ 5200–20200, ग्रेड वेतन–2000 नया वेतनमान–₹ 21700–69100, लेबल–03
	योग	1020	

उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 वैयक्तिक सहायक संवर्ग की सूचना

क्रम सं0	पदनाम	वर्तमान अद्यतन ढांचा (शा0सं0– 957, दि0 11.11.2018 के अनुसार स्वीकृत पद			पद का वेतनमान
		प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग	वृत्तीय संवर्ग	खण्डीय संवर्ग	
1–	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	01	01	05	₹15600–39100, ग्रेड वेतन–5400 नया वेतनमान– ₹ 56100–177500, लेबल–10
2–	वैयक्तिक अधिकारी	02	02	13	₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन–4600 नया वेतनमान–₹ 44900–142400, लेबल–07
3–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	05	04	31	₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 नया वेतनमान–₹ 35400–112400, लेबल–06
4–	वैयक्तिक सहायक	06	05	39	₹ 5200–20200, ग्रेड वेतन–2800 नया वेतनमान–₹29200–92300, लेबल–05
	योग	**14**	**12**	**88**	

श्रेणी–ग (नियमित कार्यप्रभारित)

कं0सं0	सृजित पदों का पद नाम	01.04.2019 को विद्यमान स्वीकृत पद को संख्या	01.04.2019 को कुल भरे पदों की संख्या	01.04.2019 को रिक्त पदों संख्या	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	सातवे वेतनमान के आधार पर लेवल		अभ्युक्ति
							वेतनमान	लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जीप/कार चालक ग्रेड–।	06	–	+ 24	9300–34800	4200	35400–112400	06	शा0सं0–44/xxvii (7) 27 (3) / 13 दि031.01.14 द्वारा वाहन चालक सेवा सवंर्ग में पॉच ग्रेडों में विभाजित लागू व्यवस्था के स्थान पर सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष क्रमशः 9,15, 18 एवं 20 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन रू 2400, 2800, 4200 एवं 4600 दिये जाने का प्राविधान है इस कारण भरे गये पद स्वीकृत पदों से अधिक है परन्तु चारों ग्रेडों में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही कार्यरत है ।
2	जीप/कार चालक ग्रेड–।।	33	14	19	5200–20200	2800	29200–92300	05	
3	जीप/कार चालक ग्रेड–।।।	34	09	25	5200–20200	2400	25500–81100	04	
4	जीप/कार चालक ग्रेड– IV	39	22	17	5200–20200	2000	21700–69100	03	
5	डोजर /जे0सी0 बी0 आपरेटर	80	33	47	5200–20200	1900	19900–63200	02	
6	ट्रक/टिप्पर/ टैंकर/ ट्रैक्टर / रोलर चालक ग्रेड–।	14	44	+ 30	9300–34800	4200	35400–112400	06	
7	ट्रक/टिप्पर/ टैंकर/ट्रैक्टर /रोलर चालक ग्रेड–।।	81	16	65	5200–20200	2800	29200–92300	05	

8	ट्रक/टिप्पर/ टैंकर/ रोलर चालकग्रेड–।।।	82	37	45	5200–20200	2400	25500–81100	04	
9	ट्रक/टिप्पर/ टैंकर /ट्रैक्टर /रोलर चालक ग्रेड– IV	95	51	44	5200–20200	1900	19900–63200	02	
10	रोलर फारमैन (मृत संवर्ग)	03	03	–	5200–20200	2000	21700–69100	03	शासनादेश के अनुसार 10 पद (मृत संवर्ग) स्वीकृत हैं। वर्तमान में 03 कार्यरत हैं। अतः 03 को ही स्वीकृत पद माना जाय।
11	कनिष्ठ सहायक रासायनिज्ञ	04	03	01	5200–20200	2800	29200–92300	05	
12	प्रयोगशाला सहायक	04	01	03	5200–20200	1900	19900–63200	02	
13	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	04	03	01	5200–20200	1900	19900–63200	02	
14	प्रयोगशाला अनुसेवक	04	04	–	5200–20200	1800	18000–56900	01	
15	वर्क सुपरवाइजर (मृत संवर्ग)	21	21	–	5200–20200	2400	21700–69100	03	शासनादेश के अनुसार 31 पद (मृत संवर्ग) स्वीकृत हैं। वर्तमान में 21 कार्यरत हैं। अतः 21 को ही स्वीकृत पद माना जाय।
	योगः–	**504**	**261**	**213**					

नोटः– शासनादेश संख्या– 877/XXVii (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24.03.2011 द्वारा ₹1800 तक के ग्रेड पें का एकमात्र पद डाईग कैडर माना गया है ।

नियमित कार्यप्रभारित वर्ग

श्रेणी–घ (अराजपत्रित)

कं0सं0	सृजित पदों का पद नाम	01.04.2019 को विद्य मान स्वीकृत पद (सं0)	01.04.2019 को कुल भरे पदों की सं0	01.04.2019 को रिक्त पदों संख्या	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	सातवे वेतनमान के आधार पर लेवल		अभ्युक्ति
							वेतनमान	लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दफ्तरी	85	46 –	39	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत सवंर्ग
2	अनुसेवक	286	228	58	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत सवंर्ग
3	चौकीदार	83	63	20	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत सवंर्ग
4	स्वच्छक	20	51	+31	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत सवंर्ग
5	नील मुद्रक	–	07	+07	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत सवंर्ग
01	पानीवाला	09	09	–	5200–20200	1800	18000–56900		मृत सवंर्ग
	योग	**483**	**404**	**79**					
नियमित कार्यप्रभारित									
1	मेट	944	815	129	5200–20200	1900	19900–63200	02	
2	बेलदार	3960	3680	280	5200–20200	1800	18000–56900	01	
3	मेसन	23	09	14	5200–20200	1800	18000–56900	01	
4	माली	45	24	21	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
5	चौकीदार (फील्ड)	367	175	192	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
6	हेल्पर	37	30	07	5200–20200	1800	18000–56900	01	
7	सहायक मैकेनिक	07	08	+1	5200–20200	1900	19900–63200	02	मृत संवर्ग
8	इलैक्ट्रिीशियन	46	28	18	5200–20200	2400	25500–81100	04	
9	कम्प्रैशन आपॅरेटर	58	54	04	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
10	अमीन	145	82	63	5200–20200	2000	21700–69100	03	
11	क्लीनर	244	231	13	5200–20200	1800	18000–56900	01	
12	सर्वेयर	05	02	03	5200–20200	1900	19900–63200	02	
13	प्लम्बर	21	16	05	5200–20200	1900	19900–63200	02	
14	कारपेंटर	21	20	01	5200–20200	1900	19900–63200	02	

15	मैकेनिक	32	34	+2	5200–20200	1900	19900–63200	02	मृत संवर्ग
16	लोहार	02	–	02	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
17	कुक	17	13	04	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
18	कार्य अभिकर्ता / मिस्त्री	792	430	362	5200–20200	2400	25500–81100	04	
19	स्टोर मुंशी	03	02	01	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
20	पेन्टर	–	01	+01	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
21	फीटर	03	03	–	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
22	वेल्डर	02	–	02	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
23	बेयरा	02	–	02	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
24	गेट कीपर	01	–	01	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
25	अर्दली	06	02	04	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
26	डाकनर	10	06	04	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
27	पानी वाला	–	1	+1	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
28	ट्रेसर	04	–	04	5200–20200	1800	18000–56900	01	मृत संवर्ग
योग		**6797**	**5666**	**1131**					

नोटः– शासनादेश संख्या– 877/XXVii (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24.03.2011 द्वारा ₹1800 तक के ग्रेड पें का एकमात्र पद डाईग कैडर माना गया है ।